भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3969

(दिनांक 06.04.2023 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें

3969. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों को कई मंत्रालय दरकिनार कर रहे हैं जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है;

(ख) उन भ्रष्ट अधिकारियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में सीवीसी द्वारा कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) गत 5 वर्षों में सीवीसी द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : सीवीसी अधिनियम**,** 2003 की धारा 8 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इसे भेजे गए सतर्कता मामलों पर सलाह प्रदान करता है। सीवीसी की सलाह से विचलन के मामले आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं, जिसे संसद के समक्ष रखा जाता है। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

(ख) और (ग) : सीवीसी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर बड़ी अथवा छोटी शास्तियां लगाने हेतु आयोग ने वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान 433 अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाईयों सहित 6367 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है। बड़ी**,** लघु शास्तियां लगाने और अन्य कार्रवाई करने के लिए सीवीसी की प्रथम और द्वितीय स्तर सलाह के तौर पर क्रमश: कुल 5183 और 1184 सिफारिशें की गई है। उक्त अवधि के दौरान लगाई गई बड़ी**,** छोटी शास्तियां और अन्य कार्रवाईयों की कुल संख्या संचयी रूप से 8794 थी और उक्त अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन हेतु कुल 817 मंजूरियां प्रदान की गईं।

*****